

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 4(6)शिक्षा-1/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 02/8/2019

1. निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय:- आदर्श विद्यालय योजना के ग्रामीण आदर्श, शहरी आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के आधार पर 05 सितम्बर, 2019 को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में आदर्श विद्यालयों एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के तीन-तीन संस्था प्रधानों को प्रशंसा पत्र प्रदान किये जाने बाबत।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक : शिविरा-माध्य/आदर्श विद्यालय/पुरस्कार/2018-19/01 दिनांक 17.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार आदर्श विद्यालय योजना के ग्रामीण आदर्श, शहरी आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के आधार पर 05 सितम्बर, 2019 को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में आदर्श विद्यालयों एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के तीन-तीन संस्था प्रधानों को प्रशंसा पत्र प्रदान किये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात संलग्न दिशा-निर्देश, आदर्श विद्यालय संस्था प्रधान के लिये आवेदन पत्र, मूल्यांकन निर्देश (प्रपत्र -अ) (संस्था प्रधानों के लिये), उपलब्धिवार मूल्यांकन प्रपत्र, उत्कृष्ट विद्यालय संस्था प्रधान के लिए आवेदन पत्र, मूल्यांकन निर्देश (प्रपत्र-ब) एवं (संस्था प्रधानों के लिये), उपलब्धिवार मूल्यांकन प्रपत्र सहित प्रेषित किये जा रहे हैं।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(अशोक कुमार त्रिवेदी)
शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. समस्त कलेक्टर, राजस्थान।
7. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/ माध्यमिक शिक्षा विभाग।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
10. रक्षित पत्रावली।



(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी-शिक्षा

**आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय के संस्था प्रधानों को प्रशंसा-पत्र
देने से संबंधित प्रस्तावित संशोधित दिशा-निर्देश**

1. राज्य में आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत (पुर्नगठित ग्राम पंचायतों सहित) में एक विद्यालय (सामान्यतया कक्षा 1 से 12/10 का विद्यालय) को आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करने हेतु विभाग के शासकीय आदेश क्रमांक प.4(6)शिक्षा-1/2014 दिनांक 12.05.2015 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। शहरी क्षेत्र में आदर्श विद्यालय स्थापित करने के संबंध में शासकीय आदेश क्रमांक प. 4(6) शिक्षा-1/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक 02.05.2017 द्वारा जारी किए गए हैं।

इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थित एक विद्यालय (सामान्यतः कक्षा 1-8/5) को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। योजना के दिशा-निर्देश प. 17(3)/प्रा.शि./आयोजना/उत्कृष्ट वि./2016 दिनांक 23.05.2016 द्वारा जारी किए गए हैं।

2. राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं यथा पर्याप्त एवं मानदण्डानुसार शिक्षकों की व्यवस्था, आधारभूत भौतिक सुविधाएं, बालक-बालिकाओं के लिये फर्नीचर एवं खेलकूद सामग्री की व्यवस्था के साथ-साथ आई.सी.टी./कम्प्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाकर इन्हें Centre of Excellence के रूप में विकसित किया जाना है। ये आदर्श विद्यालय (ग्रामीण/शहरी) संबंधित ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के लिए मार्गदर्शी विद्यालय (Mentor School) एवं संदर्भ केन्द्र (Resource Centre) के रूप में कार्य करेंगे। उत्कृष्ट विद्यालय प्रारम्भिक शिक्षा के लिए Centre of Excellence के रूप में विकसित होंगे।

3. आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन में विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (संस्था प्रधान) की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन अधिकारियों द्वारा ही विभिन्न स्तरों/संस्थाओं एवं अभिभावकों से सहयोग प्राप्त कर विद्यालय को आदर्श/उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।

4. आदर्श विद्यालय योजना के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में (31 मार्च, 2018 तक) कुल 9895 (ग्रामीण आदर्श) एवं 281 शहरी आदर्श एवं उत्कृष्ट योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में (31 मार्च, 2018) में 9670 विद्यालयों को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। विद्यालय के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों (संस्था प्रधान) के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने एवं अच्छा कार्य करने वाले संस्था प्रधानों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति उपरांत राज्य के सभी जिलों में आदर्श विद्यालय योजना तथा उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कर सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों का भी चयन किया जाना है। चयनित सर्वश्रेष्ठ तीन-तीन प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (संस्था प्रधान) को 05 सितम्बर, 2019 को राज्य स्तरीय समारोह में प्रशंसा पत्र प्रदान किया जायेगा।

5. उपरोक्तानुसार चयन हेतु जिला एवं निदेशालय स्तर पर मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति तथा राज्य स्तर पर चयन समितियां निम्नानुसार गठित की जाती हैं:-

1. जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति

आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आदेश क्रमांक 6(2)प्र.सु./गुप-3/2015 दिनांक 15.04.2015 द्वारा गठित जिला स्तरीय निष्पादक समिति।

2. आदर्श विद्यालयों के लिए निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति

अध्यक्ष - निदेशक, मा.शि., राज., बीकानेर

सदस्य	—	उपायुक्त, प्रथम, रास्कूलशिप, जयपुर
सदस्य	—	अतिरिक्त निदेशक, मा.शि., राज., बीकानेर
सदस्य	—	संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), जोधपुर, अजमेर एवं बीकानेर
सदस्य	—	सहायक निदेशक, संस्थापन एवं शैक्षिक मा.शि., राज., बीकानेर
सदस्य सचिव	—	संयुक्त निदेशक, कार्मिक राज., मा.शि., बीकानेर

3. उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशांषा समिति

अध्यक्ष	—	निदेशक, प्रा.शि., राज., बीकानेर
सदस्य	—	उपायुक्त-प्रथम, रास्कूलशिप, जयपुर
सदस्य	—	अतिरिक्त निदेशक, प्रा.शि., राज., बीकानेर
सदस्य	—	संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), जोधपुर, अजमेर एवं बीकानेर
सदस्य	—	सहायक निदेशक, संस्थापन एवं शैक्षिक प्रा.शि., राज., बीकानेर
सदस्य सचिव	—	संयुक्त निदेशक, कार्मिक राज., प्रा.शि., बीकानेर

4. राज्य स्तरीय चयन समिति

अध्यक्ष	—	शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर
सदस्य	—	निदेशक मा.शि., राज., बीकानेर
सदस्य	—	राज्य परियोजना निदेशक, रास्कूलशिप, जयपुर
सदस्य	—	अतिरिक्त आयुक्त, रास्कूलशिप, जयपुर
सदस्य	—	संयुक्त शासन सचिव, प्रा.शि. (आयो.) विभाग
सदस्य	—	उपशासन सचिव शिक्षा ग्रुप, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय
सदस्य	—	उपायुक्त प्रथम, रास्कूलशिप., जयपुर
सदस्य	—	अनुसंधान अधिकारी, प्रा.शि., विभाग
सदस्य सचिव	—	विशेषाधिकारी शिक्षा

6 समितियों के कार्य

6.1 जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशांषा समिति

1. जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशांषा समिति प्राप्त आवेदनों की प्राथमिक स्तर पर जांच करेगी एवं जांच के आधार पर उपयुक्त पाये जाने वाले आवेदनों का चयन कर उनके आवेदनों को संबंधित निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशांषा समिति को भिजवायेगी।
2. जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशांषा समिति प्राप्त आवेदनों की गहनता से छानबीन कर आवेदक द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानदण्डानुसार अंक प्रदान करेगी।
3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यों, विवरणों आदि का समिति द्वारा सत्यापन किया जावेगा। सत्यापन के लिए उपलब्ध साक्ष्यों, फोटोग्राफ्स का अवलोकन किया जावेगा। निदेशालय पर भेजे जाने वाले आवेदनों में संस्था प्रधान द्वारा दर्शाई गई उपलब्धि का जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन एवं अनुशांषा समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा तत्पश्चात् विद्यालय में पाई गई उपलब्धि के आधार पर निर्धारित अधिकतम 05 अंको में से अंक प्रदान किये जायेंगे।

6.2 निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति

1. निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति, जिला स्तरीय समिति से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक तथा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के जिला कलेक्टर की अनुशंसा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों की जांच करेगी।
2. जांच के आधार पर उपयुक्त पाये जाने वाले आवेदनों में से आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के संभावित वरियता में प्रथम एक-एक संस्था प्रधानों का चयन कर उनके आवेदनों को राज्य स्तरीय चयन समिति को भिजवायेगी।
3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यों, विवरणों आदि का समिति द्वारा सत्यापन किया जाये। सत्यापन के लिए उपलब्ध साक्ष्यों, फोटोग्राफ्स का अवलोकन किया जाये। राज्य स्तर पर भेजे जाने वाले आवेदनों में दर्शाई गई उपलब्धि का भौतिक सत्यापन कर ही प्रेषित किये जावे।

6.3 राज्य स्तरीय चयन समिति

1. निदेशालय स्तरीय चयन समिति की अनुशंषा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों की गहनता से छानबीन कर उपलब्धि के आधार पर दिये गये अंकों की पुनः जांच करेगी।
2. समिति द्वारा आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों को पुरस्कृत करने हेतु तीन-तीन नामों के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जायेंगे।

7. आवेदन की प्रक्रिया

1. समस्त ग्रामीण एवं शहरी आदर्श विद्यालयों में कार्यरत संस्था प्रधान एवं समस्त उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत संस्था प्रधान आवेदन करने के पात्र होंगे।
 2. मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 (01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019) तक आदर्श एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 (01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019) तक उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के आधार पर किया जायेगा।
 3. संस्था प्रधान आदर्श विद्यालय अपने आवेदन पत्र-"अ" एवं संस्था प्रधान उत्कृष्ट विद्यालय आवेदन पत्र-"ब" में करेंगे। आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाइट education.rajasthan.gov.in पर **सर्वश्रेष्ठ संस्था प्रधान को पुरस्कृत करने हेतु आवेदन पत्र "अ" व "ब" नाम से उपलब्ध रहेगा।**
 4. मूल्यांकन मुख्यतः समस्त आदर्श विद्यालयों (ग्रामीण व शहरी) एवं समस्त उत्कृष्ट विद्यालयों को विकसित करने व राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् की योजनाओं को राजकीय विद्यालयों में क्रियान्वयन के आधार पर होगा। आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधानों के लिए मूल्यांकन प्रपत्र-अ तथा उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों के लिए प्रपत्र-ब रहेगा।
 5. संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय को विकसित करने के लिए किये गये कार्यों की गणना संबंधित संस्था में उसके कार्य करने की समयावधि की ही होगी।
 6. संस्था प्रधान वर्ष 2018-19 के दौरान विद्यालय के संस्था प्रधान के रूप में विद्यालय में कम से कम 5 माह से अधिक कार्य अवधि होने पर ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय के संस्था प्रधान अपना आवेदन संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

8. संस्था प्रधान अपने आवेदन संबंधित उपखण्ड अधिकारी की अनुशंषा के पश्चात् जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति को निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. मूल्यांकन एवं अनुशंषा समितियां आवेदनों में दर्शाई गई उपलब्धि के आधार पर अंक प्रदान करेगी। संस्था प्रधान के लिए अंक प्रणाली परिशिष्ट-1 उपलब्ध है।
10. आवेदन एवं मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार समय सारणी रहेगी:-

क्र. सं.	आवेदक वर्ग	आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति द्वारा जांच उपरांत आवेदनों को निदेशालय को भेजने की अन्तिम तिथि	निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति द्वारा जांच उपरांत वरीयता के संभागवार प्रथम एक-एक आवेदनों को राज्य सरकार को भेजने की अन्तिम तिथि	राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा अन्तिम चयन दिनांक
1	संस्था प्रधान	14 अगस्त, 2019	20 अगस्त, 2019	27 अगस्त, 2019	30 अगस्त, 2019



(अशोक कुमार त्रिवेदी)
शासन उप सचिव, प्रथम

आदर्श विद्यालय संस्था प्रधान के लिये आवेदन पत्र
उपलब्धि के आधार पर कुल प्राप्तांक.....

1. सामान्य विवरण-

- 1.1 राजकीय विद्यालय का नाम.....
- 1.2 विद्यालय स्तर- कक्षा 1 से 12, 6 से 12, 9 से 12, 1 से 10 अथवा 6 से 10-.....
- 1.3 विद्यालय का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में कमोन्त होने का वर्ष-.....
- 1.4 संस्था प्रधान का नाम-.....
- 1.5 जन्मतिथि-.....
- 1.6 इस विद्यालय में संस्था प्रधान के रूप में कार्यग्रहण की तिथि-.....
- 1.7 क्या कोई विभागीय जांच लम्बित है/नहीं-.....
- 1.8 विभाग द्वारा पूर्व में दण्डित किया है/नहीं-.....

2. उपलब्धि विवरण-

2.1 अकादमिक

2.1.1 नामांकन

कक्षा	सत्र 2017-18 का नामांकन	सत्र 2018-19 का नामांकन	प्रगति (प्रतिशत में) $C=(B-A)*100/A$	अंक
	A	B	C	D
1 से 5				
6 से 8				
9 से 10				
11 से 12				
कला				
विज्ञान				
वाणिज्य				
योग				
महायोग				

2.1.2 विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि (सत्र 2018-19)

कक्षा	नामांकन			परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी			परीक्षा परिणाम				उत्तीर्ण प्रतिशत $K=(J*100/F)$	गत वर्ष का परीक्षा परिणाम प्रतिशत में	गत वर्ष से वृद्धि	अंक	
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	I	II	उत्तीर्ण	योग					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
10															
12															

2.1.3 प्रतिभा खोज परीक्षा-

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या	अंक
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (प्रथम चरण)		
राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा		
नेशनल मरिट कम-मीन्स स्कॉलरशिप		

3. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं विद्यालय विकास (वर्तमान समग्र शिक्षा अभियान एवं विद्यालय विकास):-

3.1 आधारभूत सुविधाएं-

	कार्यग्रहण से पूर्व से है तो उसकी साईज /संख्या/ उपलब्धता	यदि सुविधा उपलब्ध नहीं है तो की गई कार्यवाही	कार्यग्रहण के बाद सुविधा उपलब्ध कराई गई है तो उसकी साईज/संख्या / उपलब्धता	कहां से (राशि सहयोग स्रोत)	अंक
खेल मैदान					
खेल सामग्री					
पेयजल					
शौचालय					
विद्यालय में कक्षा कक्ष					
चारदीवारी					
अन्य आधारभूत सुविधा					

3.2 विद्यालय में बेसिक टेलीफोन/ब्रॉडबैंड कनेक्शन सुविधा एवं विद्युत कनेक्शन की प्रगति :-

क्र. सं.	विवरण	हां/नहीं	उपलब्धि वर्ष	अंक
1	बेसिक टेलीफोन			
2	ब्रॉडबैंड कनेक्शन			
3	विद्युत कनेक्शन			

3.3 ग्रीन बोर्ड स्थिति :-

कक्षा	लक्ष्य	कक्षा-कक्षाओं में ग्रीन बोर्ड की संख्या			उपलब्धि प्रतिशत	अंक
		2018-19 से पूर्व	2018-19 के दौरान	कुल बोर्ड		
1-5	5					
6-8	3					
9-10	2					
11-12	2					

3.4 विद्यालय परिसर सौन्दर्यीकरण एवं विद्यालय को गोद देने की प्रगति :-

विवरण	विद्यालय रंग रोगन करवाया गया/नहीं	विद्यालय में आदर्श वाक्य लेखन करवाया गया/नहीं	आदर्श योजनानुसार नाम तथा लोगो लेखन करवाया गया/नहीं	विद्यालय परिसर स्वच्छता
अंक				

3.5 प्राथमिक कक्षाओं हेतु फर्नीचर व्यवस्था एवं लहर पैटर्न पर कक्षा कक्ष तैयार करवाने की प्रगति :-

विवरण	लहर पैटर्न पर तैयार कक्षा कक्षाओं की संख्या	अंक	फर्नीचर की स्थिति					कुल अंक
			नामांकन	फर्नीचर की उपलब्धता	उपलब्धि का प्रतिशत	अंक	कमी को दूर करने हेतु किये गये प्रयास	
उपलब्धि								

3.6 आई. सी. टी. योजना :-

क्र.सं.	कुल उपलब्ध कम्प्यूटरों की संख्या	क्रियाशील कम्प्यूटरों की संख्या	उपलब्धि (प्रतिशत में) $D=C*100/B$	अंक	केवल आईसीटी तृतीय चरण				
					आईसीटी संचालन के कुल त्रैमासों की संख्या	जिला कार्यालय को प्रेषित परफॉर्मेंस रिपोर्ट की संख्या	उपलब्धि (प्रतिशत में) $H=G*100/F$	कुल उपलब्धि= $(D+H)/2$	*अंक
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

नोट-प्रथम एवं द्वितीय चरण आई.सी.टी. की उपलब्धि का अंकन कॉलम-D के आधार पर तथा आई.सी.टी. तृतीय चरण की उपलब्धि का अंकन कॉलम-I के आधार पर किया जायेगा।

3.7 विद्यालय में स्थापित कम्प्यूटर लैब की स्थिति :-

कम्प्यूटरों की कुल संख्या	कार्यशील कम्प्यूटरों की संख्या	अंक
---------------------------	--------------------------------	-----

3.8 विलक योजना :-

क्र.सं.	प्रगति	अंक
1	एसडीएमसी की सहमति प्राप्त हो चुकी है	
2	संस्था के साथ एमओयू हो चुका है	
3	विलक योजना शुरू हो गई है	

3.9 डिजीटल लिटरेसी :-

कार्मिक	संख्या	RS-CIT से प्रशिक्षित	PGDCA, MCA, BCA etc	शेष	RKCL में रजिस्टर्ड संख्या (सत्र 2018-19)	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
A	B	C	D	E	F	G	H
शिक्षक							
मंत्रालयिक कार्मिक							
स्वयं							

3.10 आंगनबाड़ी का समन्वित्तीकरण :-

क्र.सं.	प्रगति	अंक
1	विद्यालय में आंगनबाड़ी का समन्वित्तीकरण हो गया है	

3.11 SIQE कार्यक्रम (प्राथमिक कक्षाओं को पढाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण की प्रगति) :-

प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों की संख्या	SIQE प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या	उपलब्धि (प्रतिशत में) $C=B*100/A$	अंक
A	B	C	D

क्र.सं.	व्यय विवरण (मद)	विद्यार्थी कोष (राशि)	विकास कोष (राशि)	योग D=B+C
A	B	C	D	E
1	फर्नीचर			
2	विद्यालय सौन्दर्यीकरण			
3	आई.सी.टी.			
4	पेयजल			
5	शौचालय			
6	ग्रीन बोर्ड			
7	प्रवेशोत्सव			
8	योजनाओं के डिस्प्ले बोर्ड			
9	खेलकूद सामग्री एवं प्रतियोगितायें			
10	समाजोपयोगी उत्पादक कार्य(S.U.P.W.)			
11	पुस्तकालय			
12	पी.टी.ए. बैठक			
13	माइनर रिपेयरिंग			
14	विद्युत, पानी, टेलीफोन बिल का भुगतान			
15	अन्य			

3.16 80 जी प्रगति :-

एसडीएमसी का रजिस्ट्रेशन नं.	एसडीएमसी को पैनकार्ड प्राप्त हो गया है।(हां/नहीं)	80 G में रजिस्ट्रेशन हो गया है (हां/नहीं)	अंक

3.17 SDMC, PTA एवं समीक्षा बैठकों तथा आयोजन की प्रगति :-

	बैठकों की निर्धारित संख्या	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	बैठकों में लिये गये निर्णयों की पालना (प्रतिशत में)	अंक
SDMC				
PTA				

3.18 आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत हुई समीक्षा बैठकों में उपस्थिति :-

विवरण	ब्लॉक में हुई कुल बैठकों की संख्या	भागीदारी (संख्या)	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
ब्लॉक में एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठकें				

3.19 विद्यालयों में किये गये नवाचार :-

संख्या	नवाचार का विवरण	अंक

3.20 निरीक्षण रिपोर्ट :-

क्र.सं.	घयन समिति	स्तर (उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा)	अंक
1	जिला स्तरीय कमेटी		
2	निदेशालय स्तरीय कमेटी		
3	राज्य स्तरीय कमेटी		

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य अभिलेख एवं मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है। गलत पाये जाने पर मैं स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

आवेदन पत्र अनुशंसित
हस्ताक्षर उपखण्ड अधिकारी मय नाम एवं मोहर

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय मोहर

**मूल्यांकन निर्देश (प्रपत्र -अ)
(संस्था प्रधानों के लिये)**

क्र.सं.	उपलब्धि विवरण	अधिकतम अंक विवरण 250	अंक
1	2.1 अकादमिक	<p>2.1.1 नामांकन सत्र 2018-19 में (16 अंक)</p> <p>कक्षा 1 से 5(2)</p> <p>i 100 तक 0</p> <p>ii 125 तक 2</p> <p>iii 125 से अधिक 4</p> <p>कक्षा 6 से 8 (2)</p> <p>i 60 तक 0</p> <p>ii 90 तक 2</p> <p>iii 90 से अधिक 4</p> <p>कक्षा 9 से 10(2)</p> <p>i 40 तक 0</p> <p>ii 60 तक 2</p> <p>iii 90 से अधिक 4</p> <p>कक्षा 11 से 12(2)</p> <p>i एक संकाय में नामांकन 40 तक 0</p> <p>ii एक संकाय में नामांकन 80 तक 2</p> <p>iii एक संकाय में नामांकन 80 से अधिक 4</p> <p>iv दो संकाय में नामांकन 80 तक 0</p> <p>v दो संकाय में नामांकन 160 तक 2</p> <p>vi दो संकाय में नामांकन 160 से अधिक 4</p> <p>vii तीन संकाय में नामांकन 120 तक 0</p> <p>viii तीन संकाय में नामांकन 240 तक 2</p> <p>ix तीन संकाय में नामांकन 240 से अधिक 4</p>	
		<p>2.1.2 विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि (34)</p> <p>कक्षा 10 के लिये परीक्षा परिणाम (17)</p> <p>i 50 प्रतिशत से कम 0</p> <p>ii 50 प्रतिशत से अधिक व 60 प्रतिशत तक 2</p> <p>iii 60 प्रतिशत से अधिक व 80 प्रतिशत तक 5</p> <p>iv 80 प्रतिशत से अधिक 7</p> <p>v प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 20 प्रतिशत से कम 0</p> <p>vi प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक 5</p> <p>vii प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक 7</p> <p>viii प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 60 से अधिक 80 प्रतिशत तक 8</p> <p>ix प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक 10</p> <p>कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम (17)</p> <p>i 50 प्रतिशत से कम 0</p> <p>ii 50 प्रतिशत से अधिक व 60 प्रतिशत से कम 5</p> <p>iii 60 प्रतिशत से अधिक व 80 प्रतिशत से कम 6</p> <p>iv 80 प्रतिशत से अधिक 7</p> <p>v प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 30 प्रतिशत से कम 5</p> <p>vi प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक 6</p> <p>vii प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक 7</p>	

		viii प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक ix प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक	8 10
		2.1.3 प्रतिभा खोज परीक्षा (15) एनटीएसई (5) i एनटीएसई प्रथम चरण में एक विद्यार्थी के चयन पर ii एनटीएसई एक से अधिक विद्यार्थी के चयन पर	3 5
		एसटीएसई (5) i एसटीएसई में एक विद्यार्थी के चयन पर ii एसटीएसई में एक से अधिक विद्यार्थी के चयन पर	3 5
		एनएमएमएस (5) i एनएमएमएस में एक विद्यार्थी के चयन पर ii एनएमएमएस में एक से अधिक विद्यार्थी के चयन पर	3 5
3. राज. माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं विद्यालय विकास (नवीन समग्र शिक्षा अभियान एवं विद्यालय विकास)	3.1 आधारभूत सुविधायें (35) खेल मैदान व सामग्री (14) i भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भेजने पर ii भूमि आवंटन कराने पर iii खेल सुविधाओं की स्थिति iv खेल सामग्री उपलब्ध		2 5 5 2
	पेयजल (3) i सामान्य व्यवस्था ii अच्छी व्यवस्था iii बहुत अच्छी व्यवस्था		0 2 3
	शौचालय(10) i 50 से कम बालकों के लिये एक शौचालय ii 50 से कम बालिकाओं के लिये एक शौचालय iii 50 से अधिक बालकों के लिये एक शौचालय iv 50 से अधिक बालिकाओं के लिये एक शौचालय		5 5 3 3
	कक्षा कक्ष/चारदीवारी (4) i पर्याप्त कक्षा कक्ष ii चारदीवारी		2 2
	अन्य आधारभूत सुविधा (4) i सामान्य व्यवस्था ii अच्छी व्यवस्था iii बहुत अच्छी व्यवस्था		1 2 4
	3.2 टेलीफोन, ब्रॉडबैंड, विद्युतीकरण (9) i बेसिक टेलीफोन उपलब्ध कराये जाने पर ii ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने पर ii विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने पर		3 3 3
	3.3 ग्रीन बोर्ड (8) i कक्षा 1 से 5 में 80 प्रतिशत से कम ii कक्षा 1 से 5 में 80 प्रतिशत से अधिक iii कक्षा 6 से 8 में 80 प्रतिशत से कम iv कक्षा 6 से 8 में 80 प्रतिशत से अधिक v कक्षा 9 से 10 में 80 प्रतिशत से कम vi कक्षा 9 से 10 में 80 प्रतिशत से अधिक vii कक्षा 11 से 12 में 80 प्रतिशत से कम viii कक्षा 11 से 12 में 80 प्रतिशत से अधिक		0 1 0 2 0 2 0 2

	<p>3.4 विद्यालय सौन्दर्यीकरण (10)</p> <p>i विद्यालय रंग रोगन किए जाने पर 3</p> <p>ii विद्यालय में आदर्श वाक्य लेखन 2</p> <p>iii आदर्श विद्यालय योजनानुसार नाम लेखन 2</p> <p>iv विद्यालय परिसर स्वच्छता 3</p>	
	<p>3.5 फर्नीचर एवं लहर कक्ष (10)</p> <p>फर्नीचर (5)</p> <p>i विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 60 प्रतिशत से कम 0</p> <p>ii 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक 2</p> <p>iii 80 प्रतिशत से अधिक 5</p> <p>लहर कक्ष (5)</p> <p>i 2 से कम लहर आधारित कक्षा-कक्ष 1</p> <p>ii 2 लहर आधारित कक्षा-कक्ष 3</p> <p>iii 2 से अधिक लहर आधारित कक्षा-कक्ष 5</p>	
	<p>3.6 आईसीटी योजना (5)</p> <p>i 60 प्रतिशत से कम 0</p> <p>ii 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक 2</p> <p>iii 80 प्रतिशत से अधिक 5</p>	
	<p>3.7 कम्प्यूटर लैब(5)</p> <p>i विद्यालय में क्रियाशील कम्प्यूटर की संख्या (5 तक) 3</p> <p>ii विद्यालय में क्रियाशील कम्प्यूटरों की संख्या (5 से अधिक) 5</p>	
	<p>3.8 विलक योजना (5)</p> <p>i एस.डी.एम.सी. की सहमति 1</p> <p>ii संस्था से एम.ओ.यू. 2</p> <p>iii विलक योजना शुरू 2</p>	
	<p>3.9 डिजिटल लिटरेसी (5)</p> <p>i RKCIT/PGDCA/MCA/BCA स्वयं प्रशिक्षित। 2</p> <p>ii विद्यालय में शिक्षक/कार्मिकों द्वारा RKCIT/PGDCA/MCA/BCA प्रशिक्षण 80 प्रतिशत 1</p> <p>iii 80 प्रतिशत से अधिक 3</p>	
	<p>3.10 आंगनबाड़ी समन्वितिकरण (3)</p> <p>i नहीं हुआ है। 0</p> <p>ii हो गया है। 3</p>	
	<p>3.11 SIQE प्रशिक्षण (3)</p> <p>i समस्त प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 3</p> <p>ii प्रशिक्षण शेष रहने पर 0</p>	
	<p>3.12 SIQE कक्षा कक्ष शिक्षण (12)</p> <p>i प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों के अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 2</p> <p>ii विद्यार्थियों के विषयवार समूह बनाने पर 2</p> <p>iii विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति के लिये चैक लिस्ट बनाने पर 2</p> <p>iv सीसीई के आवश्यक प्रपत्र भरे जाने पर 2</p> <p>v शैक्षिक कार्ययोजना बनाने पर 2</p> <p>vi पुस्तकालय एवं वाचनालय का उपयोग किया जाने पर 2</p>	

	<p>3.13 खेलकूद, विज्ञान गतिविधियों में सहभागिता (15) खेलकूद (5)</p> <p>i किसी भी खेल में राज्य में प्रथम स्थान 5 ii किसी भी खेल में राज्य में द्वितीय स्थान 3 iii किसी भी खेल में राज्य में तृतीय स्थान 2</p> <p>सांस्कृतिक एवं कला उत्सव (5)</p> <p>i सांस्कृतिक एवं कला उत्सव में राज्य में प्रथम स्थान 5 ii सांस्कृतिक एवं कला उत्सव में राज्य में द्वितीय स्थान 3 iii सांस्कृतिक एवं कला उत्सव में राज्य में तृतीय स्थान 2</p> <p>विज्ञान प्रदर्शनी (5)</p> <p>i विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य में प्रथम स्थान 5 ii विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य में द्वितीय स्थान 3 iii विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य में तृतीय स्थान 2</p>	
	<p>3.14 भामाशाह, दानदाता सहयोग (7)</p> <p>i विद्यालय में एक से पांच लाख तक राशि का सहयोग 2 ii विद्यालय में पाच से दस लाख तक राशि का सहयोग 5 iii विद्यालय में दस लाख से अधिक राशि का सहयोग 7</p>	
	<p>3.15 विद्यार्थी एवं विकास कोष (8)</p> <p>i 60 प्रतिशत से कम 0 ii 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक 5 iii 80 प्रतिशत से अधिक 8</p>	
	<p>3.16 80 G (5)</p> <p>i एसडीएमसी पेन कार्ड प्राप्ति 2 ii 80 G रजिस्ट्रेशन 3</p>	
	<p>3.17 SDMC, PTA बैठक(6) एसडीएमसी बैठक –(3)</p> <p>i बैठकों का आयोजन 100 प्रतिशत 3 ii बैठकों का आयोजन 100 प्रतिशत से कम 0</p> <p>पीटीए बैठक– (3)</p> <p>i बैठकों का आयोजन 100 प्रतिशत 3 ii बैठकों का आयोजन 100 प्रतिशत से कम 0</p>	
	<p>3.18 ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक (3)</p> <p>i 80 प्रतिशत से कम 0 ii 80 प्रतिशत से अधिक 3</p>	
	<p>3.19 नवाचार (6)</p> <p>i एक नवाचार करने पर। 3 ii एक से अधिक 6</p>	
	<p>3.20(A) जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर (5)</p> <p>i उत्कृष्ट पाये जाने पर 5 ii बहुत अच्छा पाये जाने पर 3 iii अच्छा पाये जाने पर 1</p> <p>3.20(B) निदेशालय स्तरीय गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर (10)</p> <p>i उत्कृष्ट पाये जाने पर 10 ii बहुत अच्छा पाये जाने पर 6 iii अच्छा पाये जाने पर 3</p> <p>3.20(C) राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा (10)</p> <p>i उत्कृष्ट पाये जाने पर 10 ii बहुत अच्छा पाये जाने पर 6 iii अच्छा पाये जाने पर 3</p>	

उपलब्धिवार मूल्यांकन

क्र.सं.	उपलब्धि बिन्दु	उपलब्धि	पूर्णांक
1	2.1.1	नामांकन	16
2	2.1.2	विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि	34
3	2.1.3	प्रतिभा खोज परीक्षा	15
4	3.1	आधारभूत सुविधाएं	35
5	3.2	टेलीफोन, ब्रॉडबेण्ड, विद्युतीकरण	9
6	3.3	ग्रीन बोर्ड	8
7	3.4	विद्यालय सौन्दर्यीकरण	10
8	3.5	फर्नीचर एवं लहर कक्ष	10
9	3.6	आई.सी.टी. योजना	5
10	3.7	कम्प्यूटर लैब	5
11	3.8	विलक योजना	5
12	3.9	डिजीटल लिटरेसी	5
13	3.10	आंगनबाड़ी समन्वित्तीकरण	3
14	3.11	एसआईक्यूई प्रशिक्षण	3
15	3.12	एसआईक्यूई कक्षा कक्ष शिक्षण	12
16	3.13	खेलकूद, विज्ञान गतिविधियों में सहभागिता	15
17	3.14	भामाशाह, दानदाता सहयोग	7
18	3.15	विद्यार्थी एवं विकास कोष	8
19	3.16	80 जी प्रगति	5
20	3.17	SDMC, PTA बैठक	6
21	3.18	ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक	3
22	3.19	नवाचार	6
23	3.20	निरीक्षण रिपोर्ट	25
कुल अंक			250

3. उत्कृष्ट विद्यालय योजना एवं विकास

3.1 आधारभूत सुविधाएँ

क्र.सं.		पूर्व से है तो उसकी उपलब्धता (हाँ/नहीं)	सुविधा उपलब्ध करवाई गई है (हाँ/नहीं)	सुविधा उपलब्ध करवाई गई है तो कहाँ से	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
3.1.1	खेल मैदान					
3.1.2	पेयजल					
3.1.3	शौचालय					
3.1.4	विद्यालय में कक्षा कक्ष					
3.1.5	चारदीवारी					
3.1.6	विद्युत व्यवस्था					
3.1.7	विद्यालय भवन की रंगाई पुताई					
3.1.8	आदमकद दर्पण					

3.2 विद्यालयों में सीएसआर, भामाशाह व दानदाताओं आदि से लिए गए सहयोग का विवरण

क्र. सं.	सहयोग का प्रकार	सहयोग कर्त्ता का नाम	सहयोग का विवरण	सहयोग राशि (लाखों में)			कार्य का विवरण जिसमें राशि का उपयोग किया गया है	दानदाताओं से सहयोग प्राप्त न होने पर	अंक
				2017-18	2018-19	कुल			
1	जनसहयोग								
2	काउड फण्डिंग								
3	भामाशाह								
4	सीएसआर								
				कुल राशि:-					

नोट:- सहयोग में सामग्री प्राप्त होने पर उसकी अनुमानित राशि लिखें।

3.3 विद्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर्स की स्थिति:-

कम्प्यूटर्स की उपलब्धता (हाँ/नहीं)	कम्प्यूटर्स की कुल संख्या	क्रियाशील कम्प्यूटर्स की संख्या	अंक

3.4 विद्यालय सौन्दर्यीकरण

विवरण	विद्यालय में सौन्दर्यीकरण न होने पर	विद्यालय को गोद लेने वाली संस्था का नाम	विद्यालय में आदर्श वाक्य लेखन करवाया गया (हाँ/नहीं)	विद्यालय द्वारा पर "उत्कृष्ट विद्यालय योजना अन्तर्गत चयनित" नाम लेखन करवाया गया (हाँ/नहीं)	अंक
अंक					

3.5 खेलकूद, विज्ञान प्रदर्शनी गतिविधियों में सहभागिता

गतिविधि	राज्य में			जिले में			ब्लॉक में			किसी स्तर पर चयनित न होने पर	अंक
	सहभागिता	स्थान	अंक	सहभागिता	स्थान	अंक	सहभागिता	स्थान	अंक		
खेलकूद											
विज्ञान प्रदर्शनी											

3.6 विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था

फर्नीचर की	फर्नीचर की स्थिति				अंक
उपलब्धता (हाँ/नहीं)	कुल नामांकन	विद्यार्थियों की संख्या के 60 प्रतिशत से कम उपलब्धता	61 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक उपलब्धता	81 प्रतिशत से अधिक	

3.7 कक्षा 1 एवं 2 हेतु एबीएल कक्षा कक्ष तैयार करवाने की प्रगति

क्या विद्यालय में एबीएल कक्ष उपलब्ध है (हाँ/नहीं)	अपूर्ण	पूर्ण	पूर्ण सुसज्जित एवं क्रियाशील	अंक

3.8 विद्यालयों में बेसिक टेलीफोन/ब्रॉडबैंड कनेक्शन की स्थिति:-

क्र.सं.	विवरण	उपलब्ध	अनुपलब्ध	अंक
1.	बेसिक टेलीफोन			
2.	ब्राडबैंड कनेक्शन			

3.9 उत्कृष्ट विद्यालय योजना की समीक्षा हेतु एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठकों में संस्था प्रधान की उपस्थिति

विवरण	ब्लॉक में हुई कुल बैठकों की संख्या	भागीदारी (संख्या)	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
ब्लॉक में एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक				

3.10 डिजीटल लिटरैसी

कार्मिक	संख्या	RS-CIT से प्रशिक्षित	PGDCA, MCA, BCA etc.	शेष	RKCL में रजिस्टर्ड संख्या (सत्र 2018-19)	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
स्वयं							
कार्मिक							

3.11 शाला दर्शन (वर्तमान शाला दर्पण पोर्टल)

शाला दर्शन डेटा फीडिंग की स्थिति	प्रपत्र 1	प्रपत्र 3	प्रपत्र 3 ए	अंक
अंक				

3.12 ग्रीन बोर्ड की स्थिति

कक्षा	कक्षा-कक्षाओं में ग्रीन बोर्ड की संख्या		उपलब्धि प्रतिशत	अंक
	2018-19 से पूर्व	2018-19 के दौरान/आज तक		
1-5				
6-8				

3.13 CCE कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण की स्थिति

प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों की संख्या	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या	उपलब्धि % में	अंक

3.14 CCE की अवधारणा के अनुसार कक्षा-कक्ष में शिक्षण कार्य की स्थिति-

गतिविधि	हाँ/नहीं	अंक
शिक्षकों का प्रशिक्षण हो गया है		
विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति की मॉनीटरिंग हेतु चैकलिस्ट बना दी गई है।		
विद्यार्थियों के विषयवार ग्रुप बनाने पर		
सीसीई के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित प्रपत्र भरे जा रहे हैं		
विद्यालय द्वारा शैक्षिक सुधार की कार्ययोजना बना ली गई है		
शैक्षिक/सहशैक्षिक गतिविधियों की कार्ययोजना बना ली गई है।		

3.15 SMC तथा PTA बैठकों के आयोजन की स्थिति

एसएमसी/पीटीए बैठकों की निर्धारित संख्या		एसएमसी/पीटीए की आयोजित की गई बैठकों की संख्या		बैठकों का प्रतिशत		बैठकों में लिये गये निर्णयों की पालना % में		अंक
SMC	PTA	SMC	PTA	SMC	PTA	SMC	PTA	

3.16 विद्यालयों में किये गये नवाचार

संख्या	नवाचार का विवरण	अंक

3.17 एसएमसी का पंजीकरण (80 जी के अन्तर्गत)

पंजीकरण नहीं करवाया	पंजीकरण प्रक्रियाधीन	पंजीकरण हो चुका है	अंक

3.18 आंगनबाड़ी का समन्वितिकरण

क्र.सं.	प्रगति	अंक
1	विद्यालय में आंगनबाड़ी का समन्वितिकरण हो गया है	

3.19 निरीक्षण रिपोर्ट

जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण (5)	अंक
i अच्छा	
ii बहुत अच्छा	
iii उत्कृष्ट	

3.20 निरीक्षण रिपोर्ट

निदेशालय स्तरीय गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण (5)	अंक
i अच्छा	
ii बहुत अच्छा	
iii उत्कृष्ट	

3.21 निरीक्षण रिपोर्ट

राज्य स्तरीय गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण (10)	अंक
i अच्छा	
ii बहुत अच्छा	
iii उत्कृष्ट	

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य अभिलेख एवं मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है। गलत पाये जाने पर मैं स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार रहूँगा।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान
मय सील

आवेदन पत्र अनुशंसित
हस्ताक्षर उपखण्ड अधिकारी
मय नाम एवं सील

www.studywithrsm.com

**मूल्यांकन निर्देश (प्रपत्र-ब)
(संस्था प्रधानों के लिए)**

क्र. सं.	उपलब्धि	अधिकतम अंक विवरण				200	अंक		
2	अकादमिक	2.1	विद्यालय विकास योजना की उपलब्धता				5		
		i	नहीं					0	
		ii	हां					5	
		2.2	नामांकन सत्र 2018-19				4		
			कक्षा 1 से 5				2		
		i	60 तक					0	
		ii	100 तक					1	
		iii	150 या अधिक					2	
			कक्षा 6 से 8				2		
		i	50 तक					0	
		ii	80 तक					1	
		iii	105 या अधिक					2	
		2.3	विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि				20		
			कक्षा 5 का परीक्षा परिणाम				10		
				A+ छात्र-छात्रा	A छात्र-छात्रा	B छात्र-छात्रा	C+D छात्र-छात्रा		
		A+	10 %	20 %	40 %	30 %		10	
		A	5 %	15 %	50 %	30 %		5	
B	0	10 %	50 %	40 %		3			
C+D	0	0	60 %	40 %		0			
	कक्षा 8 का परीक्षा परिणाम				10				
		A+ छात्र-छात्रा	A छात्र-छात्रा	B छात्र-छात्रा	C+D छात्र-छात्रा				
A+	10 %	20 %	40 %	30 %		10			
A	5 %	15 %	50 %	30 %		5			
B	0	10 %	50 %	40 %		3			
C+D	0	0	60 %	40 %		0			
3	उत्कृष्ट विद्यालय योजना एवं विकास	3.1	आधारभूत सुविधाएं				43		
		3.1.1	खेल मैदान व सामग्री				10		
		i	खेल मैदान व सामग्री की अनुपलब्धता					0	
		ii	उपलब्धता					3	
		iii	भूमि आवंटन करवाने पर					5	
		iv	खेल सामग्री की उपलब्धता तथा उपयोग					10	

	3.1.2	पेयजल	3	
	i	पेयजल व्यवस्था न होने पर		0
	ii	सामान्य व्यवस्था		1
	iii	अच्छी व्यवस्था		2
	iv	बहुत अच्छी व्यवस्था		3
	3.1.3	शौचालय	5	
	i	शौचालय की अनुपलब्धता		0
	ii	केवल एक शौचालय		2
	iii	बालक-बालिकाओं के पृथक से शौचालय		3
	iv	बालक-बालिका पृथक शौचालय क्रियाशील		5
	3.1.4	कक्षा-कक्ष	5	
	i	अपर्याप्त कक्षा-कक्ष		0
	ii	पर्याप्त कक्षा-कक्ष		5
	3.1.5	चारदीवारी	5	
	i	अनुपलब्ध		0
	ii	अपूर्ण		2
	iii	पूर्ण चारदीवारी		5
	3.1.6	विद्युत व्यवस्था	5	
	i	अनुपलब्ध		0
	ii	उपलब्ध परन्तु अक्रियाशील		2
	iii	क्रियाशील		5
	3.1.7	विद्यालय भवन की रंगाई पुताई	5	
	i	नहीं		0
	ii	हों		5
	3.1.8	आदमकद दर्पण	5	
	i	अनुपलब्ध		0
	ii	उपलब्ध		5
	3.2	सीएसआर, भामाशाह व दानदाताओं का सहयोग	5	
	i	दानदाताओं से सहयोग प्राप्त न होने पर		0
	ii	विद्यालय में 50000/- तक की राशि का सहयोग		2
	iii	रु. 50000 से 1 लाख तक		3
	iv	1 लाख से अधिक		5
	3.3	कम्प्यूटर्स की स्थिति	5	
	i	अनुपलब्धता		0
	ii	उपलब्धता		3
	iii	उपलब्धता एवं क्रियाशीलता		5
	3.4	विद्यालय सौन्दर्यीकरण	5	
	i	विद्यालय में सौन्दर्यीकरण नहीं होने पर		0

	ii	विद्यालय को गोद दिये जाने पर		2
	iii	विद्यालय में आदर्श वाक्य लेखन		3
	iv	उत्कृष्ट विद्यालय योजनानुसार नाम लेखन		5
	3.5	खेलकूद एवं विज्ञान प्रदर्शनी	10	
		खेलकूद	5	
	i	खेलकूद में किसी भी स्तर पर चयन न होने पर		0
	ii	किसी भी खेल में ब्लॉक स्तर पर स्थान		2
	iii	किसी भी खेल में जिला स्तर पर स्थान		3
	iv	किसी भी खेल में राज्य स्तर पर स्थान		5
		विज्ञान प्रदर्शनी	5	
	i	विज्ञान प्रदर्शनी में किसी भी स्तर पर चयन न होने पर		0
	ii	विज्ञान प्रदर्शनी में ब्लॉक स्तर पर स्थान		2
	iii	विज्ञान प्रदर्शनी में जिला स्तर पर स्थान		3
	iv	विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य स्तर पर स्थान		5
	3.6	विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था	5	
	i	विद्यालय में फर्नीचर न होने पर		0
	ii	विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 60 प्रतिशत से कम		2
	iii	61 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक		3
	iv	81 प्रतिशत से अधिक		5
	3.7	एबीएल कक्ष की स्थिति	5	
	i	एबीएल कक्ष न होने पर		0
	ii	अपूर्ण		2
	iii	पूर्ण रूप से तैयार		3
	iv	पूर्ण सुसज्जित एवं कियाशील		5
	3.8	बेसिक टेलीफोन/ब्रॉडबैंड कनेक्शन की उपलब्धता	6	
		बेसिक टेलीफोन	3	
	i	अनुपलब्ध		0
	ii	उपलब्ध		3
		ब्रॉडबैंड कनेक्शन	3	
	i	अनुपलब्ध		0
	ii	उपलब्ध		3
	3.9	एसडीएम द्वारा ब्लॉक पर ली गई समीक्षा बैठकों में संस्था प्रधान की उपस्थिति	5	
	i	60 प्रतिशत से कम		0
	ii	60 प्रतिशत से अधिक		5
	3.10	डिजिटल लिटरेसी	10	
		RS-CIT/PGDCA/BCA/MCA स्वयं प्रशिक्षित	5	
	i	नहीं		0

	ii	हाँ		5	
		RS-CIT/PGDCA/BCA/MCA विद्यालय कार्मिक	5		
	i	80 प्रतिशत से कम प्रशिक्षित		2	
	ii	80 प्रतिशत से अधिक प्रशिक्षित		5	
	3.11	शाला दर्शन-डेटा फीडिंग (वर्तमान शाला दर्पण-डेटा फीडिंग)	9		
		प्रपत्र-1	3		
		i	लॉक नहीं करने पर		0
		ii	लॉक करने पर		3
			प्रपत्र-3	3	
		i	लॉक नहीं करने पर		0
		ii	लॉक करने पर		3
			प्रपत्र-3 ए	3	
		i	लॉक नहीं करने पर		0
		ii	लॉक करने पर		3
	3.12		ग्रीन बोर्ड की स्थिति	10	
			कक्षा 1 से 5	5	
		i	80 प्रतिशत से कम		0
		ii	80 प्रतिशत से अधिक		5
			कक्षा 6 से 8	5	
		i	80 प्रतिशत से कम		0
		ii	80 प्रतिशत से अधिक		5
	3.13		सीसीई शिक्षक प्रशिक्षण	3	
		i	50 प्रतिशत से कम प्रशिक्षित शिक्षक		0
		ii	50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक प्रशिक्षित शिक्षक		2
		iii	80 से 100 प्रतिशत तक प्रशिक्षित शिक्षक		3
	3.14		सीसीई अवधारणा के अनुसार कक्षा कक्ष में शिक्षण की स्थिति	12	
			शिक्षकों का प्रशिक्षण हो गया है	2	
		i	नहीं		0
	ii	हाँ		2	
		विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति की मॉनीटरिंग हेतु चैक लिस्ट बना दी गई है	2		
	i	नहीं		0	
	ii	हाँ		2	
		विद्यार्थियों के विषयवार ग्रुप बनाने पर	2		
	i	नहीं		0	
	ii	हाँ		2	
		सीसीई के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित प्रपत्र भरे जा रहे हैं	2		
	i	नहीं		0	

	ii	हाँ		2
		विद्यालय द्वारा शैक्षिक सुधार की कार्य योजना बना ली गई है	2	
	i	नहीं		0
	ii	हाँ		2
		शैक्षिक/सहशैक्षिक गतिविधियों की कार्य योजना बना ली गई है	2	
	i	नहीं		0
	ii	हाँ		2
	3.15	एसएमसी/पीटीए बैठकों का आयोजन	5	
	i	बैठकों का आयोजन नहीं किया गया		0
	ii	बैठकों का आयोजन 50 प्रतिशत से कम		2
	iii	बैठकों का आयोजन 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक		3
	iv	बैठकों का आयोजन 80 प्रतिशत से अधिक		5
	3.16	नवाचार	4	
	i	किसी भी प्रकार का नवाचार न करने पर		0
	ii	एक नवाचार करने पर		2
	iii	एक से अधिक नवाचार करने पर		4
	3.17	एसएमसी का पंजीकरण (80 G के अन्तर्गत)	5	
	i	पंजीकरण नहीं करवाया है।		0
	ii	पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।		2
	iii	पंजीकरण हो चुका है		
	3.18	आंगनबाड़ी का समन्वितिकरण	4	5
	i	समन्वितिकरण हो चुका है		4
	ii	समन्वितिकरण नहीं हुआ है		0
	3.19	निरीक्षण रिपोर्ट (जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण)	5	
	i	अच्छा		2
	ii	बहुत अच्छा		3
	iii	उत्कृष्ट		5
	3.20	निदेशालय स्तरीय गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर	5	
	i	अच्छा		2
	ii	बहुत अच्छा		3
	iii	उत्कृष्ट		5
	3.21	राज्य स्तरीय गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर	10	
	i	अच्छा		3
	ii	बहुत अच्छा		5
	iii	उत्कृष्ट		10

उपलब्धिवार मूल्यांकन

क्र.सं.	उपलब्धि बिन्दु	उपलब्धि	पूर्णांक
01	2.1	विद्यालय विकास योजना की उपलब्धता	5
02	2.2	नामांकन सत्र 2018-19	4
03	2.3	विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि	20
04	3.1.1	खेल मैदान व सामग्री	10
05	3.1.2	पेयजल	3
06	3.1.3	शौचालय	5
07	3.1.4	कक्षा-कक्ष	5
08	3.1.5	चारदीवारी	5
09	3.1.6	विद्युत व्यवस्था	5
10	3.1.7	विद्यालय भवन की रंगाई पुताई	5
11	3.1.8	आदमकद दर्पण	5
12	3.2	सीएसआर, भामाशाह व दानदाताओं का सहयोग	5
13	3.3	कम्प्यूटर्स की स्थिति	5
14	3.4	विद्यालय सौन्दर्यीकरण	5
15	3.5	खेलकूद एवं विज्ञान प्रदर्शनी	10
16	3.6	विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था	5
17	3.7	एबीएल कक्ष की स्थिति	5
18	3.8	बेसिक टेलीफोन/ब्रॉडबैंड कनेक्शन की उपलब्धता	6
19	3.9	एसडीएम द्वारा ब्लॉक पर ली गई समीक्षा बैठकों में संस्था प्रधान की उपस्थिति	5
20	3.10	डिजीटल लिटरेसी	10
21	3.11	शाला दर्शन-डेटा फीडिंग(वर्तमान शाला दर्पण-डेटा फीडिंग)	9
22	3.12	ग्रीन बोर्ड की स्थिति	10
23	3.13	सीसीई शिक्षक प्रशिक्षण	3
24	3.14	सीसीई अवधारणा के अनुसार कक्षा कक्ष में शिक्षण की स्थिति	12
25	3.15	एसएमसी/पीटीए बैठकों का आयोजन	5
26	3.16	नवाचार	4
27	3.17	एसएमसी का पंजीकरण (80 जी के अन्तर्गत)	5
28	3.18	आंगनबाड़ी का समन्वितकरण	4
29	3.19	निरीक्षण रिपोर्ट (जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण)	5
30	3.20	निदेशालय स्तरीय गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर	5
31	3.21	राज्य स्तरीय गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर	10
कुल अंक			200